

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनांतर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2010—माघ 12, शक 1931

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. एफ. 35-15-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जावे.

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा -4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 1 फरवरी 2010 से तीन माह की अवधि के लिये प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मों (पर्सोनेल).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. एफ. 35-15-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 1st February 2010

F. No. 35-15-2009-II-C1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 1st February 2010 for a period of three months.

SCHEDULE

Personnel appointed for all the work related to the examination of the Board of Secondary Education in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.